न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या:–419 / 2021 दायर दिनांक:–17.12.2021

सीसीएमएस नं. 2021 / 611

रामअवतार पुत्र किशोरी उम्र 57 साल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई मण्डी गौशाला के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली राज.

——————सायल

बनाम

1. कपूर चंन्द पुत्र किशोरी उम्र 59 साल
2. विमला पत्नी कपूरचंद उम्र 57 साल
3. राजेन्द पुत्र कपूरचंद उम्र 35 साल
4. महेशचंद पुत्र कपूरचंद उम्र 33 साल
5. बलराम पुत्र कपूरचंद उम्र 30 साल
6. सुरेन्द्र पुत्र कपूरचंद उम्र 28 साल

(1 से 6) जाति माली निवासी किशोरी माली की कोठी सहजा का तिवारा बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास वार्ड न0 23 हिण्डौन सिटी जिला करौली

7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता सायलान
2. लखनलाल गोयल अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कि कृषि भूमि मुताबिक हाल जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या नया 181 खसरा न0 4131 रकबा 0.10 है0 चाही–1 खसरा न0 4144 रकबा 0.10 है0 बारानी–1, खसरा न0 4145 रकबा 0.[illegible] [illegible]–1, खसरा न0 4147 रकबा 0.08 है0 बारानी–1 तथा खाता संख्या नया 185 खसरा [illegible] रकबा 0.05 है0 बारानी–1 खसरा न0 4132 रकबा [illegible] है0 चाही–1 खसरा न0 4143 रकबा 0.[illegible] बारानी–1 तथा खाता संख्या 183 खसरा न0 4134 रकबा 0.13 है0 बारानी–1, खसरा न0 4135 रकबा 0.19 है0 बारानी–1 खसरा न. 4138 रकबा 0.28 है0 बारानी–1 वाके ग्राम हिण्डौन सिटी पटवारा हल्का पटवार हल्का हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0 में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि मुतजिकरा मद न0 2 प्रार्थनापत्र का सायल 1/2 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 भाग का गैरसायल न0 1 कपूरचंद रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायल न0 2 ता 6 का उपरोक्त भूमियों से कोई संबंध नहीं है। गैरसायल न0 2 ता 6 गैरसायल न0 1 के पुत्रगण व पत्नी है। जो उद्दण्ड प्रवृति के व्यक्ति है तथा वादी की कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते है।

उपरोक्त भूमि मुतजिकरा मद न0 2 प्रार्थना पत्र पत्र का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन सायल तथा गैरसायल न0 1 के कुदुम्बिन से बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन वादी तथा गैरसायल न0 1 काबिज आराजी है।

कृषि भूमि खाता संख्या नया 181 खसरा न0 4131 रकबा 0.10 है0 चाही–1 खसरा न0 4144 रकबा 0.10 है0 बारानी–1, खसरा न0 4145 रकबा 0.08 है0 बारानी–1 व खसरा न0 4147 रकबा 0.08 है0 बारानी–1 वाके ग्राम हिण्डौन सिटी पटवारा हल्का हिण्डौन तहसील हिण्डोन के 1/2 भाग का वादी रामअवतार रिकॉर्डेड काश्तकार है तथा शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी न0 1 कपूरचंद रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। खसरा न0 4131, 4144, 4145 के सम्पूर्ण रकबा को तथा खसरा न0 4147 के 7 ऐयर रकबा दक्षिणी तरफ को सुविधा के अनुसार प्रतिबादी न0 1 कपूरचंद काश्त करता है। जिसमें कपूरचंद ने सरसों बो रखी है। क्यों कि इन खसरा नम्बरों के अगल–बगल में गैरसयाल न0 1 कपूरचंद की खातेदारी की अन्य भूमियां और है। तथा खसरा न0 4147 के शेष एक एयर रकबा उत्तरी तरफ को वादी काश्त करता चला आ रहा है। जिसमें सायल ने सरसों बो रखी है।

कृषि भूमि खाता संख्या नया 182 खसरा न0 10180/4142 रकबा 0.05 है0 बारानी–1, खसरा न0 4132 रकबा 0.33 है0 चाही–1 व खसरा न0 4143 रकबा 0.18 है0 बारानी–1 वाके ग्राम हिण्डौन सिटी पटवारा हल्का हिण्डौन तहसील हिण्डोन के 1/2 भाग का सायल रामअवतार रिकॉर्डेड काश्तकार है तथा शेष 1/2 भाग का गैरसयाल न0 1 कपूरचंद रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिनमें से खसरा न0 4132 के सम्पूर्ण रकबा 33 ऐयर को काश्त की सुविधा के अनुसार सायल रामअवतार काश्त करता है। तथा खसरा न0 10180/4142 के सम्पूर्ण रकबा 5 ऐयर को व खसरा न0 4143 के सम्पूर्ण रकबा 18 ऐयर को सुविधा के अनसुार गैरसयाल न0 1 कपूरचंद काश्त करता चला आ रहा है। जिनमें कपूरचंद ने सरसों बों रखी है। तथा खसरा न0 4138 के सम्पूर्ण [illegible] सुविधा के अनुसार काश्त करता चला आ रहा है। जिसमें प्रतिवादी कपूरचंद [illegible] रखी है। क्यों कि उक्त खसरा नम्बरों के अगल–बगल में सायल [illegible] भूमियां और है। खसरा न0 4134 में दोनो पक्षकारों का शामलाती बोर तथा कृ[illegible] कनैक्शन है। जिसमें दोनो पक्षकार पाइप लाइन जिसमें दोनो पक्षकार पाइप लाइन डालकर अपनी–अपनी भूमियों की सिचाई करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक हिस्सेनुसार सायल व गैरसायल शांतिपूर्वक विवादित आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे थे। लेकिन अब सायल व गैरसायल के आपसी मनमुटाव हो जाने के कारण शामिल काश्त करना संभव नहीं है। गैरसायल न0 1 व उसकी पत्नि गैरसायल न0 2 तथा उसके पुत्रगण गैरसायल न0 3 ता 6 लठैत तथा उद्दण्ड प्रकृति के व्यक्ति है। जो सायल के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में माने मजाहमत मदाखलत पैदा करते है। जुमले गैरसायल मुताबिक हिस्सेनुसार आराजीयात पर सायल को काश्त नहीं करने की धमकी देते है। जबरदस्ती मताबिक हिस्सेनुसार की आराजीयात पर खुले आम दिनांक 05.12.2021 को सुबह 9 बजे के करीब जब सायल अपने हिस्से की भूमियों को काश्त करने गया तो गैरसायल 1 ता 6 एक राय होकर हाथों में लाठी/गंडासी/फरसा लेकर वादी को जान से मारने को दौडे तथा वादी को यह ऐलानिया धमकी दी कि तुझे तेरे हिस्से की आराजीयात से बेदखल कर देंगे। तथा तुझे उक्त भूमियों को काश्त नहीं करने देंगे। वदी वजह सायल अपन हिस्से की आराजी का विभाजन करा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि दौराने दावा गैरसायालान का जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि गैरसायाल ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से खसरा न0 4132, 4134, 4135व 4136 के सम्पूर्ण रकबा तथा खसरा न0 4147 के एक ऐयर उत्तरी भाग तरफ वाके ग्राम हिण्डौन सिटी पटवार हल्का हिण्डौन सिटी के सायल के कब्जे काश्त में माने मजाहमत मदाखलत बेजा पेदा ना करे। सायल को अपने हिस्से के कब्जे काश्त की भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने देवे। सायल को अपने हिस्से से बेदख लना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। गैरसायलान विविादित भूमि को वेस्ट/डेमज एण्ड एलीनेट ना करे। गेरसायल बिना विधिवत बंटवारा कराये विवादित भूमि के किसी भी भाग को रहनव्यय ना करे। ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें। ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायल पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 6 की ओर से लखनलाल गोयल अधिवक्ता ने उपस्थित दर्ज करायी एवं जबाव पेश किया गया

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत, 2071–74 खाता संख्या 181, 182, 183 पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष [illegible] बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों [illegible] ना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही [illegible] अपनी बहस में प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सायलान का प्र[illegible] पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा स्वीकार करते हुए उभयपक्ष को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071-74 खाता संख्या 181 खसरा नं0 4131, 4144, 4145, 4147, खाता संख्या 182 खसरा न0 10180/4142, 4132, 4143 खाता संख्या 183 खसरा न0 4134, 4135, 4136, 4138 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते है तथा सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हो, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 17.12.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के तार्फैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति तार्फैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

16/7/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested